IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. आरती गुप्ता

बियानी गर्ल्स बी.एड़ कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)

1. सार :–

प्रस्तुत षोध पत्र में जयपुर जिले में षहरी व ग्रामीण महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। जिसमें षोध के न्यादर्ष का चुनाव यादृच्छिक विधि से 300 विद्यार्थियों को चुना गया। षोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के विष्लेषण के लिए मध्यमान, प्रमाप विचलन व 'टी' मूल्य का प्रयोग किया गया। षहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों की निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का पता लगाया गया। इसके विभिन्न उद्देष्यों तदोपरान्त परिकल्पनाओं के आधार पर षोध कार्य आगे बढ़ाया गया। षोध विष्लेषण के बाद यह पाया गया की जयपुर जिले के षहरी व ग्रामीण महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता में अन्तर है। जयपुर जिले के षहरी विद्यार्थियों की जागरूकता ग्रामीण विद्यार्थियों की जागरूकता की तुलना में बेहतर है।

2. पृष्ठभूमि :–

निजता षब्द एक सामान्य षब्द है जिसके अन्तर्गत स्वतंत्रता की अवधारणा को षामिल करते हुए निजी सम्बन्धों व्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल विकल्प स्वयं व परिवार की स्वतंत्रता व सुरक्षा को भी षामिल किया गया है।

निजता के अधिकार द्वारा कोई भी व्यक्ति के अकेले रहने पर रोक नहीं लगा सकता है। जैसे– सार्वजनिक रूप से फोटो न खिंचवाना, व्यक्गित जानकारी को अन्य व्यक्ति की पहुँच तक प्रतिबंधित करना किसी व्यक्ति की निजी संचार सेवा को सुनना या रिकार्ड करना निजता का उल्लघंन माना जाता है। निजता का अधिकार सीधे व सहजषब्दों में कहे तो जीने का अधिकार है। आधुनिक तकनीकी नवाचारों– कम्प्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से साइबर दुनिया में कहीं भी अनिष्चित व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी में गोपनीयता दो धारी तलवार के समान है। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देषों को यह अच्छे तरह से महसूस हो गया है कि निजता सभी मानवाधिकारों का केन्द्र है। निजता के अधिकार को लेकर

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और भारत में औद्योगिक , तकनीकी व संवैधानिक अन्तर पाया जाता है। एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में निजता मूलभूत आवष्यकताओं और व्यक्ति की सुसामाजिक प्रकृति से जुड़े मूल्यों को महसूस करती है। निष्चित रूप से तकनीकी और आर्थिक विकास का स्तर कानूनी और प्रवर्तन तकनीकों के माध्यम से इन गोपनीयता मूल्यों की रक्षा करने का दबाव बनाता है। भारत में अंग्रेजी कानून प्रणाली के कानून और प्रक्रियाओं का पालन करते है। लेकिन भारतीय संवैधानिक न्यायपालिका निजता के अधिकार का परिचय देने के लिए पर्याप्त है।

3. अध्ययन का उद्देष्य :–

1. स्नातक स्तर के कला संकाय के शहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों की निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर के कला संकाय के शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. स्नातक स्तर के कला संकाय के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

4. अध्ययन की परिकल्पनायें :–

1. स्नातक स्तर के ग्रामीण व षहरी विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. स्नातक स्तर के ग्रामीण छात्र व छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. स्नातक स्तर के षहरी छात्र व छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
4. स्नातक स्तर के षहरी व ग्रामीण छात्रों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
5. स्नातक स्तर के षहरी व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

5 षोध प्रविधियाँ

1. **षोध विधि :–** प्रस्तुत षोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।
2. **जनसंख्या :–** प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर षहर के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन जनसंख्या के रूप में किया जायेगा।
3. **न्यादर्ष :–** प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में जयपुर जिले के स्नातक स्तर के 300 विद्यार्थियों को लिया गया।
4. **न्यादर्ष चयन विधि :–** प्रस्तुत षोध में यादृच्छिक विधि द्वारा न्यादर्ष का चुनाव किया गया है।
5. **उपकरण :–**
   1. प्रस्तुत अध्ययन में स्वनिर्मित प्रष्नावली का प्रयोग आँकड़ों के संग्रहण हेतु किया गया।
   2. षोधकर्त्री द्वारा निजता के अधिकार की प्रति जागरूकता के अध्ययन हेतु 25 कथनों की स्वनिर्मित प्रष्नावली का निर्माण किया।
   3. निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने हेतु स्वनिर्मित प्रष्नावली का निर्माण तीन आयामों को सम्मिलित करते हुये बनाये :–

क्र.स	आयाम	प्रश्नों की संख्या
1.	निजता के अधिकार की सामान्य जानकारी	11
2.	निजता के अधिकार के कानूनी प्रावधान	8
3.	निजता के अधिकार के जुर्माने सम्बन्धी वित्तिय प्रावधान	6
	कुल	25

विश्वसनीयता व वैधता :–

विष्वसनीयता का मापन परीक्षण व पुनः परीक्षण द्वारा निकाला गया व प्रष्नावली को पाँच विषेषज्ञों द्वारा जाँच करवाकर वैधता निकाली गई।

6. प्रदत्त संचयन

- शोधकर्त्री ने सर्वप्रथम राजस्थान के जयपुर जिले का चयन किया हैं, जिसमें शोधकर्त्री ने 300 न्यादर्ष के लिए महाविद्यालयों का चयन किया हैं।
- शोधकर्त्री द्वारा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने हेतु 25 प्रष्नों की प्रष्नावली का निर्माण किया गया इस प्रपत्र को वितरित करने व प्रषासित करने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को सामान्य निर्देष दिये गये।
- सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक कथन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए निर्देष दिये गये।

- तत्पष्चात् प्रष्नावली का प्रषासन पूर्व नियोजित सूचना व कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

7. प्रदत्त विष्लेषण :–

परिकल्पना–1

स्नातक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
शहरी विद्यार्थी	150	19.12	4.2167	4.3092	अस्वीकृत
ग्रामीण विद्यार्थी	150	16.16	2.41052		

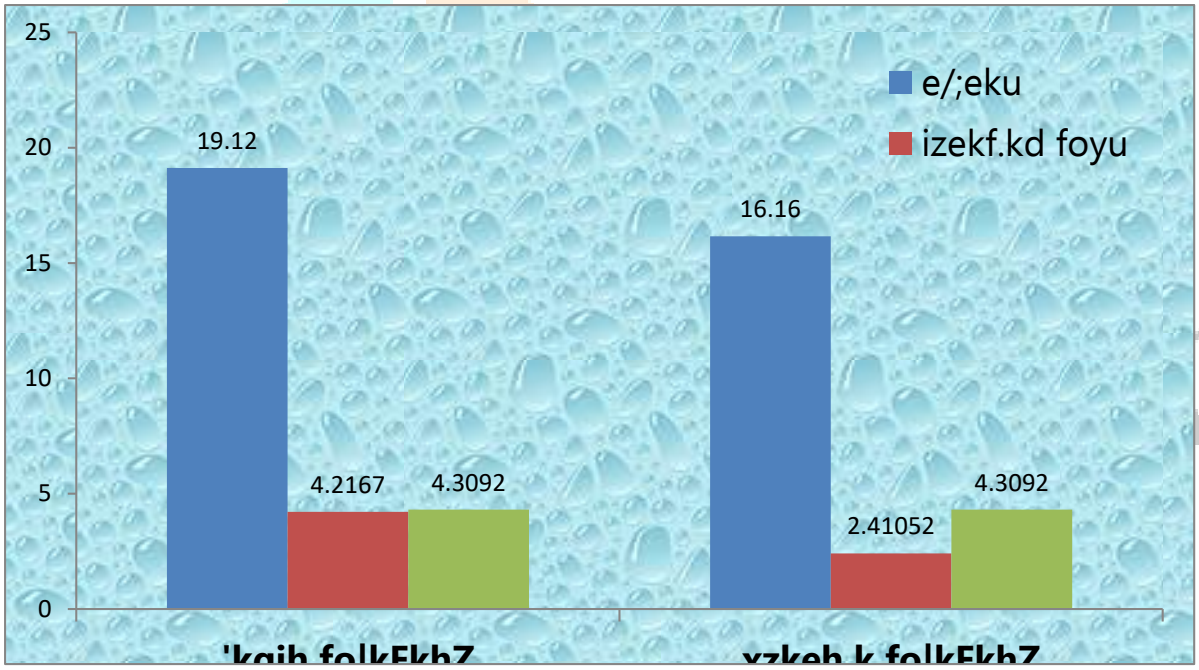

विश्लेषण एवं व्याख्या–

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शहरी विद्यार्थियों व ग्रामीण विद्यार्थियों का निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का मध्यमान क्रमषः 19.12 व 16.16 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमषः 4.2167 व 2.41052 है।

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शहरी विद्यार्थियों व ग्रामीण विद्यार्थियों की निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का टी मूल्य 4.3092 प्राप्त हुआ जो 0.1 पर अपेक्षित मान 1.663 व 0.5 पर अपेक्षित मान 1.985 से ज्यादा है। अतः इसका तात्पर्य है कि स्नातक स्तर के शहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः यह षून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना–2

स्नातक स्तर के ग्रामीण छात्र व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
ग्रामीण छात्र	75	15.8	2.4324	1.0573	स्वीकृत
ग्रामीण छात्रायं	75	16.5	2.3825		

तालिका संख्या–4.2

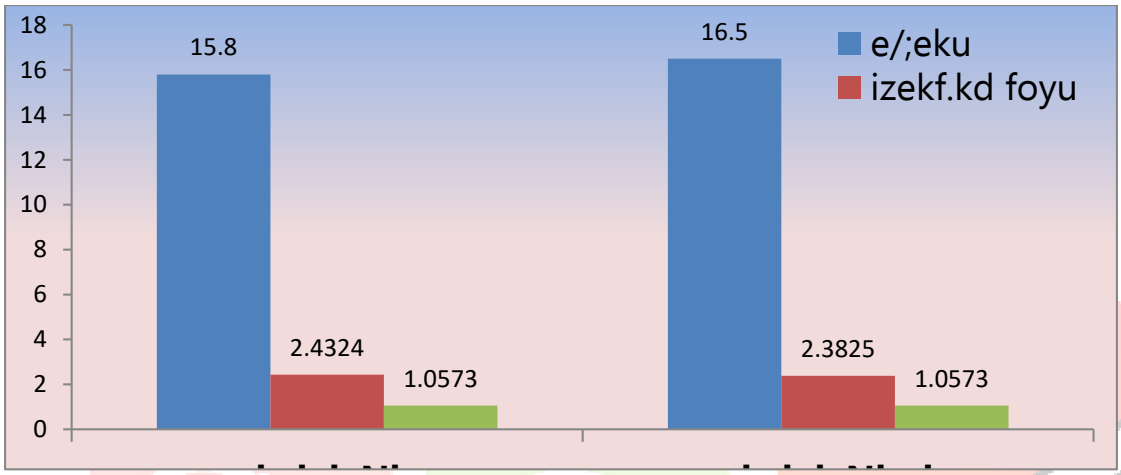

विश्लेषण एवं व्याख्या–

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है स्नातक स्तर के ग्रामीण छात्रों व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का मध्यमान क्रमषः 15.8 व 16.5 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमषः 2.4524 व 2.3825 है।

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु ग्रामीण छात्राआं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का टी मूल्य 1.0573 प्राप्त हुआ जो 0.1 पर अपेक्षित मान 1.677 व 0.5 पर अपेक्षित मान 2.011 से कम है। अतः इसका तात्पर्य है कि स्नातक स्तर के स्नातक स्तर के ग्रामीण छात्र व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः यह षून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना–3

स्नातक स्तर के शहरी छात्र व शहरी छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
शहरी छात्र	75	18.52	4.3312	1.0663	स्वीकृत
शहरी छात्रायें	75	19.72	4.0979		

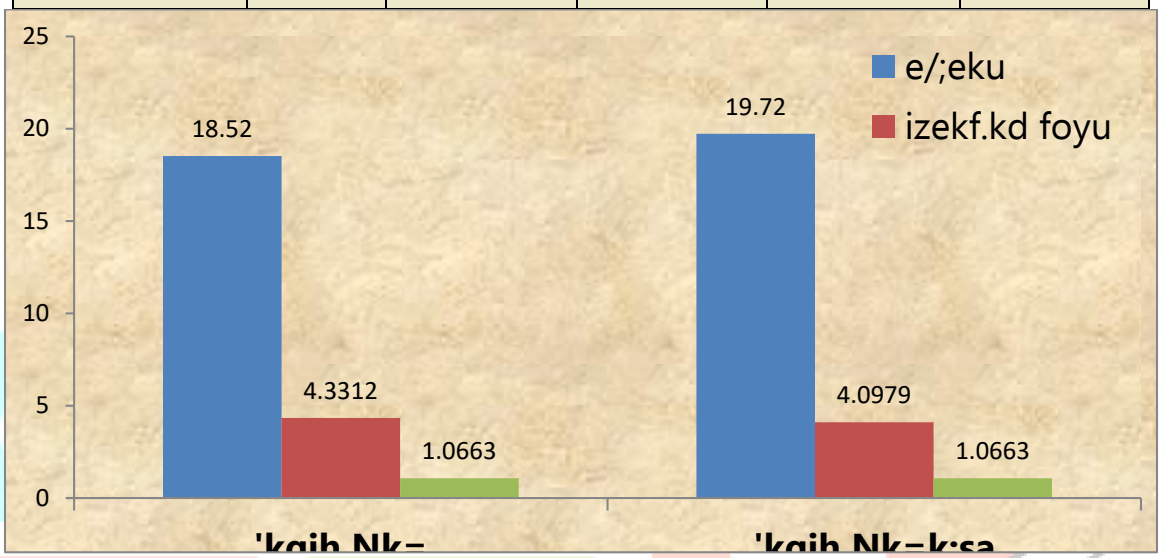

विश्लेषण एवं व्याख्या–

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है स्नातक स्तर के शहरी छात्रों व शहरी छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का मध्यमान क्रमषः 18.52 व 19.72 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमषः 4.3312 व 4.0979 है।

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शहरी छात्र व शहरी छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का टी मूल्य 1.0663 प्राप्त हुआ जो 0.1 पर अपेक्षित मान 1.677 व 0.5 पर अपेक्षित मान 2.011 से कम है। अतः इसका तात्पर्य है कि स्नातक स्तर के स्नातक स्तर के शहरी छात्र व शहरी छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना–4

स्नातक स्तर के शहरी छात्र व ग्रामीण छात्रों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
शहरी छात्र	75	18.52	4.3312	2.72	अस्वीकृत
ग्रामीण छात्र	75	15.8	2.4324		

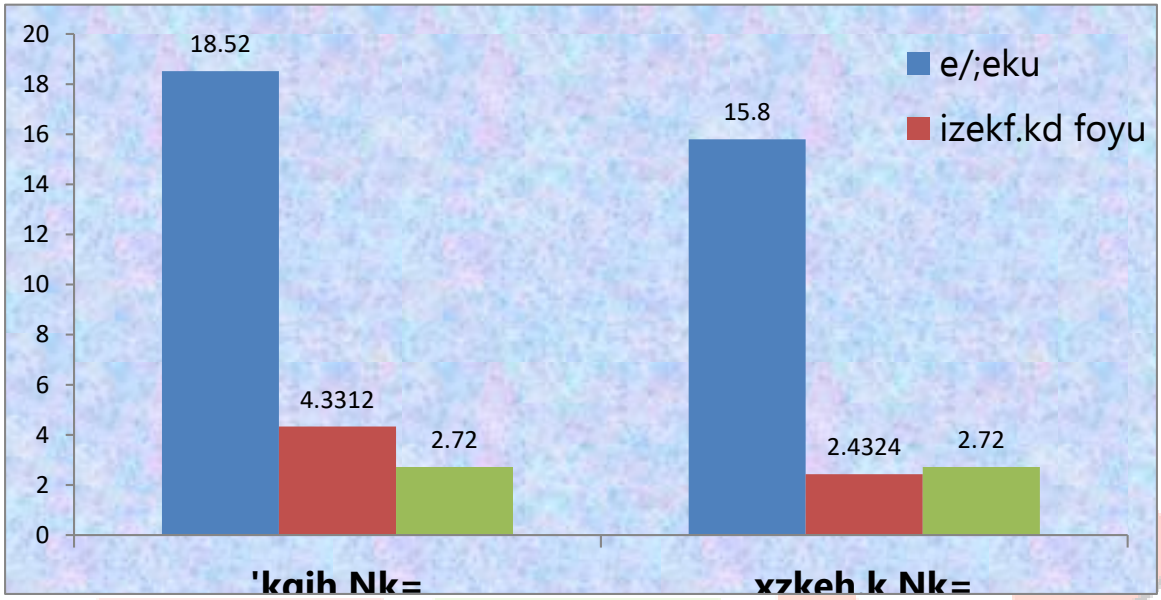

विश्लेषण एवं व्याख्या– उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है स्नातक स्तर के शहरी छात्रों व ग्रामीण छात्रों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का मध्यमान क्रमषः 18.52 व 15.8 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमषः 4.3312 व 2.4324 है।

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शहरी छात्र व ग्रामीण छात्रों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का टी मूल्य 2.72 प्राप्त हुआ जो 0.1 पर अपेक्षित मान 1.677 व 0.5 पर अपेक्षित मान 2.011 से ज्यादा है। अतः इसका तात्पर्य है कि स्नातक स्तर के स्नातक स्तर के शहरी छात्र व ग्रामीण छात्रों में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना–5

स्नातक स्तर के शहरी छात्राओ व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।

समूह	न्यादर्ष	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी–मूल्य	परिणाम
शहरी छात्राओं	75	19.72	4.0979	3.3755	अस्वीकृत
ग्रामीण छात्राओं	75	16.52	2.3825		

तलिका संख्या – 4.5

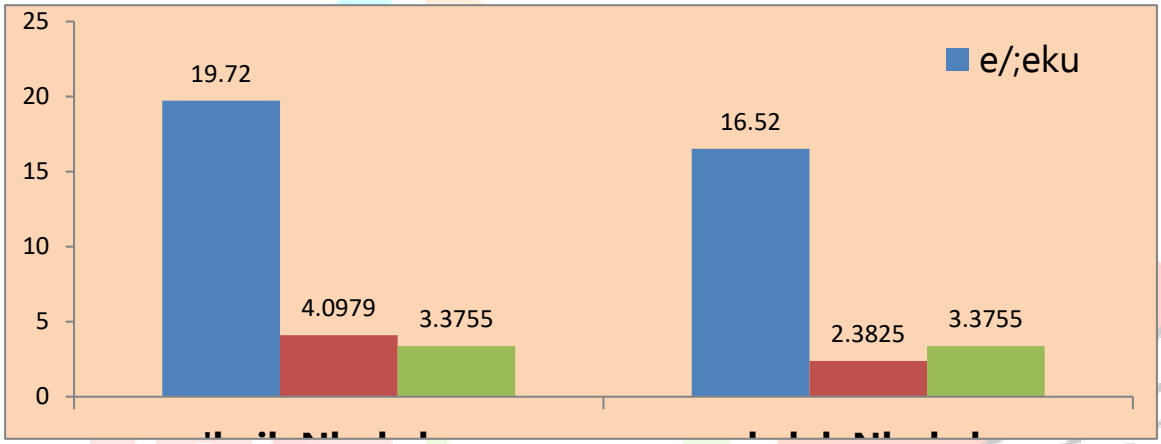

विश्लेषण एवं व्याख्या–

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है स्नातक स्तर के शहरी छात्राओं व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का मध्यमान क्रमषः 19.72 व 16.52 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमषः 4.0979 व 16.52 है।

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शहरी छात्राओं व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन का टी मूल्य 3.3755 प्राप्त हुआ जो 0.1 पर अपेक्षित मान 1.677 व 0.5 पर अपेक्षित मान 2.011 से कम है। अतः इसका तात्पर्य है कि स्नातक स्तर के शहरी छात्राओं व ग्रामीण छात्राओं में निजता के अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

8. षैक्षिक निहितार्थ :–

1. गोपनीयता के मानदण्डों को निर्धारित किया जाना चाहिए। निजता के संवैधानिक आधार और इसके संरक्षण के बारे में अनिष्चिचता को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।
2. सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा प्रतिबन्धित किया जाए।
3. प्रेस , रेडियों, टी. वी. आदि माध्यमों द्वारा मीडिया की स्वायत्ता को कम किया जाए जिससे निजता का अधिकार ओर अधिक सुदृढ़ हो सके।
4. भारतीय न्यायधिकृत ई–मेल व इसके इसके जुड़े उत्पादों की विष्वसनीयता को परख सके।
5. विभिन्न स्त्रोतों द्वारा एकत्रित किए डाटा को संभाल कर रखा जाए।
6. उचित व भरोसेमंद अनुप्रयोगों के प्रयोग पर बल दिया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- **राबर्ससन, ए.एच,,** प्राइवेसी एण्ड ह्यूमन राइट 1972
- **एलम एफ. वेस्टीन,** प्राइवेसी एण्ड फ्रीडेम–न्यूयार्क (1967)
- **अरनाल्ड सेक्यूल,** प्राइवेसी, 12 इन्टरनेषनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोषल साइसेन्स च्प्च 480
- **बी. षांता कुमारी** – इनफ्रिजमेन्ट ऑफ प्राइवेसी आन एन एक्सषेनबल टॉर्ट, न्यू ईयर बुक ऑफ लीगल स्टीडिज (1972)
- **फ्रायड चार्ल्स,** प्राइवेसी येल (1968)
- **बासु, दुर्गा दास** कम्येर कान्ट्रीष्यून लॉ (1984)

पत्र–पत्रिकाएं

- **अ.जी नुरानी–पार्लियामेन्ट एण्ड प्राइवेसी** : इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली – 1984, अंक–19, पेज नं. 239–240
- **ए. मनोज कृष्णा –** प्राइवेसी रिविजीटेड : एकेडमी लॉ रिव्यू, 2000 अंक–24, पेज नं. 41–75
- **ए. आर देसाई और चिदनन्दा रेड्डी. एस पाटिल** : कन्टोरस् ऑफ प्राइवेसी एण्ड डिफेमेषन विया फ्री स्पीच – कोचीन यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू (1996) अंक XX P.P 187.199
- **अनीला जार्ज –** टेपिंग प्राइवेसी – द टेलिफोन टेपिंग केस :– लायर्स क्लेटिव, जून 1997 अंक 12 P.P 28.29

WEBSITES

- Shodhganga.inflibnet.ac.in
- www.statisticssolution.com
- www.mathportal.org
- www.usablestats.com
- https://study.com
- https://en.m.wikipedia.org
- www.legalservicesindia.com
- https://www.thehindu.com
- timesofindia.indiatimes.com